कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com,Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक-1787 / 12–1 देहरादूनः दिनांकः 4– दिसम्बर, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25–सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– **जनपद बागेश्वर में पोथिंग से तोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.287 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**
(Online Proposal No. FP/UK/ROAD/23336/2016)

सन्दर्भ :– भारत सरकार की पत्र संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/60/2018/एफ0सी0/1264 दिनांक 16–09–2020 ।

महोदय,

प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या अपने पत्रांक 1856/12–1–2 दिनांक 26–11–2024 से वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा को प्रेषित की गई है जिसे वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा द्वारा अपने पत्रांक 1384/12–1(2) दिनांक 09–12–2024 से इस कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित की गई है–

क्र० सं०	सैद्धान्तिक सवीकृति में अधिरोपित शर्त	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि विधिक परिस्थिति नहीं बदले जाने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाने पर प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
3	**प्रतिपूरक वनीकरणः–**	
	(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 8.574 है० सिविल सोयम भूमि ग्राम सुमगढ़ सिविल खसरा नं0 1 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक	(क) प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 8.574 है० सिविल सोयम भूमि ग्राम सुमगढ़ सिविल खसरा सं0 1 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा एवं उक्त

	हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचे (ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपांतरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	क्षेत्रों में स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों के लगाए जाएगा जिससे प्रजातियों की एकल कृषि से बचा जा सकेगा। (ख) प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 8.574 है0 ग्राम सुमगढ़ सिविल सोयम भूमि का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं0 2163/छब्बीस–02 वन/2020–21 दिनांक 06.07.2021 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है। उक्त भूमि का खसरा खतौनी में स्वामित्व वन विभाग के नाम पर दर्ज कर दिया गया है। उक्त भूमि भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–4/20/29 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्याः 869–एफ/638 दिनांक 17.10.1893 के तहत संरक्षित वन घोषित है। **(संलग्नक–1)**
	(ग) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	(ग) प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है। **(संलग्नक– 2)**
4	**शुद्ध वर्तमान मूल्य**	
	(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.03.2003 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्राक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 4.287 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.03.2003 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्राक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार को एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 28,16,559.00 (अठाईस लाख सोलह हजार पांच सौ उन्सठ) मात्र UTR No. RBI0302274463160 दिनांक 29-01-2022 द्वारा जमा की गयी है। **(संलग्नक–3)**
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अमिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र से प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के एन0पी0वी0 की बढ़ी हुयी धनराशि जमा किये जाने सम्बन्धि बचनबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया गया है **(संलग्नक–4)**

5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में वृक्षों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 375 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं वृक्ष राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन में 375 trees से अधिक का पातन नहीं किया जायेगा। पेड़ों की कटाई में आने वाले व्यय का वहन प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा किया जायेगा जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण समहत है।
6	State Govt. inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidlines para 11.2. The state govt will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि गाईडलाइन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति राज्य सरकार को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत हैं (शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।)
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा धन ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानांतरित/जमा किया गया है।
8	एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। एफ0आर0ए0 के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(संलग्नक–5)**
9	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गाति विनियमन साइनेज लगाए जाएगें।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगााने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
10	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा के क्रम में पूर्व से ही प्रारूप सं0–54 संलग्न किया गया है जिसके अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

11	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
12	वन भूमि पर काई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषत वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषज्ञ वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
14	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त अवगत कराया गया है कि उनके निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
15	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर या कोई अतिरिक्त मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
16	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
17	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
18	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया

		जायेगा, जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
19	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि इनमें से किसी भी शर्त का उल्ल्घन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017 FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार ही कार्यवाही होगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
20	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
21	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने के कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सोंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयवद्व तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
22	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद /नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायलय/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
23	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल https://parivesh-nic/in पर अपलोड की जाएगी।	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल http://parivesh.nic.in पर अपलोड की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अतः उपरोक्त प्रकरण में उपरोक्तानुसार प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 यथा संशोधित 2023 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति निर्गत करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 1787 /12–1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

83

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक -1384/ 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 09/12/ 2024.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– **जनपद बागेश्वर में पोथिंग से तोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.287 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या– 23336/2016)**

सन्दर्भ :– **भारत सरकार की पत्र संख्या– 8बी/यू0सी0पी0/06/60/2018/ एफ0सी0/1264 / दिनांक16.09.2020**

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के संबंध में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के पत्रांक 1856/12-1-2 दिनांक 26.11.2024 द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न– तीन प्रतियों में।

भवदीय

(डॉ धीरज पाण्डेय)
मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

प्रभारी बागेश्वर
आ० का० करें।
प्र० व० सं०/नो०
19-12-24

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून
पं०ो० सं० 2542
पत्रावली 12-1
दिनांक 21-12-24

संलग्न-1

आदेश

उपजिलाधिकारी, कपकोट की आख्या/रिपोर्ट के आधार जनपद, बागेश्वर के अंतर्गत पोथिंग से तोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.287 है0 की दुगुनी 8.574 है0 भूमि, जो ग्राम सुमगढ, राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र,लोहारखेत, तहसील, कपकोट के गैर ज0 वि0 खतौनी श्रेणी 9(3) ख (2) के खाता संख्या-127 खेत नम्बर 11409 मध्ये रकवा 5.000 है0 खेत नम्बर 11667 मध्ये रकवा 2.000 है0, खेत संख्या-11769 मध्ये रकवा 1.574 है0 कुल 8.574 है0 भूमि को शासनादेश संख्या -2173 /2012 -18(120)/2012 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 तथा भारत सरकार,पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या08 बी/यू0 सी0 पी0/06/60/2018/एफ0 सी0/1264 दिनांक 16/09/2020 में दी गयी शर्तो के अधीन क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामांतरित /हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर ।

संख्या 2163 / छब्बीस-07वन /2020-21 दिनांक 06/07/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर,
2. उपजिलाधिकारी, कपकोट,
3. अधिशासी अभियंता, खण्ड लोक निर्माण, कपकोट,
4. तहसीलदार, कपकोट को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का हस्तांतरण /नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक-एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग एंव याचक विभाग को उपलब्ध करवाते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

से0 प्र0 - III / वनभूमि सहायक

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

Guniyani Construction Civil Contractor

फोटो प्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
कपकोट (बागेश्वर)

Digitally signed by VINEET KUMAR
Date:Tue Jul 06 11:28:56 IST 2021
Reason:Approved

1-41

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली, 2003 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या **FP/UK/ROAD/23336/2016** योजना **जनपद बागेश्वर में पोथिंग से तोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.287 है0** वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के लिये वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त ग्राम किलपारा पटवारी क्षेत्र बदियाकोट में **8.574 है0** सिविल भूमि (सिविल/सोयम/बंजर/अवनत वन/अन्य वन) इत्यादि राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी बागेश्वर के पत्रांक संख्या 2163/छब्बीस – 02वन /2020–21 दिनांक 06.07.2021 से हस्तान्तरित/आवन्टित कर वन विभाग के पक्ष में अमल दरामद करा दी गयी है। उक्त भूमि का खसरा खतौनी में स्वामित्व वन विभाग के नाम पर दर्ज कर दिया गया है। उक्त भूमि श्रेणी 9 (खाते से बाहर की भूमि) (un measured Land) के अन्तर्गत 9(3)क के रूप में दर्ज हैं। जो कि अधिसूचना संख्याः 869–एफ/638 दिनांक 17.10.1893 के तहत संरक्षित वन घोषित है। (अधिसूचना संलग्न)

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।

(ध्रुव सिंह मर्तोलिया)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।

कार्यालय वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

पत्रांक / दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी, (उत्तर मध्य क्षेत्र), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, 25, सुभाष रोड़, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
5. मुख्य वन संरक्षक, गढवाल/कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
6. जिलाधिकारी बागेश्वर।
7. गार्ड बुक।

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।

संलग्न-2

प्रमाण–पत्र

परियोजना का नामः– बागेश्वर में पोथिग से तोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.287 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/23336/2016 में सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 3(ग) के अनुपालन में सी0ए0 क्षेत्र ग्राम सुमगढ सिविल भूमि में पूर्व में किसी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

वन क्षेत्राधिकारी	उपप्रभागीय वनाधिकारी	प्रभागीय वनाधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी कपकोट	उपप्रभागीय वनाधिकारी कपकोट	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

आभियन्ता.

VPB902422 7122/2028

संलग्न-3

Bank
Addr

Pass for Rs 5996673/-

Head of A/c .... Passed for Rs. .... E.E./AE

FORM-28 HAND RECEIPT

Cash Book Voucher ...49..................... Date 30/12/021

by Cheque/Cash Rupees (5996673)=00 .... to उत्तराखण्ड कैम्पा

Paid by me .... Incharge of Sub-Division निoखo लोo निo विo कपकोट

Received from the आहरण अधिकारी .... Division the sum of Rs. (5996673=00)

Name of work or purpose for which payment is made एन०पी०वी० जमा करने जनपद बागेश्वर में पोथिंग से तोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु।

Rs 5996673=00

Recorded on 03-01-2021
Page No 200

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
कपकोट (बागेश्वर)

Address ....

Signature of Payee

Vide WO.89024227012 21002

B50540117
Dt 29-01-2022

फोटो प्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट (बागेश्वर)

NEFT RTGS CHALLAN

38

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 27-12-2021

Agency Name.	PWDKAPKOT
Application No.	6123336384
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/60/2018/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	C.D.P.W.D.KAPKOTEBageshwar
Amount(in Rs)	5996673/-

Amount in Words :Fifty-Nine Lakh Ninety-Six Thousand Six Hundred and Seventy-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896123336384 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 27-12-2021

Agency Name.	PWDKAPKOT
Application No.	6123336384
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/60/2018/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	C.D.P.W.D.KAPKOTE Bageshwar
Amount(In Rs)	5996673/-

Amount In Words :Fifty-Nine Lakh Ninety-Six Thousand Six Hundred and Seventy-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896123336384 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

...king successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through ...helpdeskcampa@corpbank.co.in

After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated ... 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to ... co0371@unionbankofindia.com

Print | Back

U.T.R. No RBI03022744463160

Dt 29-01-2022

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट

फोटो प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट (बागेश्वर)

संलग्न-4

वचनबद्धता

योजना का नामः– बागेश्वर में पोथिग से तोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.287 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की मांग के अनुसार किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
कपकोट

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
कपकोट

संलग्न-5

प्रपत्र–23.4

परियोजना का नामः– जिला योजना के अन्तर्गत पोथिंग से तोली तक 7.00 किमी0 मोटर मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जिला योजना के अन्तर्गत पोथिंग से तोली तक 7.00 किमी0 मोटर मार्ग मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.287 हे0 वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग कपकोट (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/98-एफ0सी0 दिनांक 05–02–2013 के द्वारा रैखीकार (linear) प्रयोजनों यथा–सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईपलाईन बिछाना आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नही हो रहे हैं।

जिलाधिकारी
बागेश्वर

फोटो प्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट (बागेश्वर)

खण्ड, लोक निर्माण विभाग,

5(1)

प्रपत्र– 23.3

परियोजना का नामः– जिला योजना के अन्तर्गत पोथिंग से तोली तक 7.00 किमी0 मोटर मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जिला योजना के अन्तर्गत पोथिंग से तोली तक 7.00 किमी0 मोटर मार्ग मोटर मार्ग के निर्माण हेतु **4.287है0** वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग **कपकोट** प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति **बागेश्वर** तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओ द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण–पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

जिलाधिकारी
बागेश्वर

जिलाधिकारी
बागेश्वर

फोटो प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
कपकोट (बागेश्वर)

5-(11)

Form-I

(for liner project)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Bageshwer

NO.........................

Dated..21.12.16

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's latter No- 11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribe and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006 ('FRA' for short)on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's latter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **4.287** hectares of forest and proposed to be diverted in favor of **Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand** for **Construction of Pothing to Toli Motor Road 7.00 Km** district falls within It is further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **4.287** hectares of forest area proposed for dirversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee are enclosed as annexure to annexure.....**Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.**
- The diversion of forest land for facilities managed by the Govenent as required under section 3(2) of the FRA have completed and the Gram Sabha have given their consent in..... **Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwelers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.**
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities. **Certificate prescribed in form 23-4 attached.**

Enclosed- as above

Dated- 21/12/16

फोटो प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड लो०नि०वि०

कपकोट (बागेश्वर)

21/12/16

District Collector

Seal

जिलाधिकारी

बागेश्वर

(Full name and official seal of the District Collector